रजिस्टर्ड
अन्तिम अवसर

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स.3(9)(21)स्था. / मंत्रा / अभि / 2016 / 7021-22 दिनांक :– 4-5-17
प्रेषितः–

श्रीमती मीरा देवी पत्नि स्व0 श्री मुरारी लाल,
निवासी :– रामजी का दरवाजा, कांमा तहसील कांमा,
पुलिस थाना कांमा, जिला भरतपुर (321022)

विषयः– शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेजात लौटाने बाबत।
सन्दर्भः–अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमाक 10746 दिंनाक 27.09.2016, 13343 दिंनाक 01.12.16,16 दिंनाक 03.01.17 एंव 3491 दिनाक 15.03.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम मे लेख है कि आपका चयन आर. पी.एस.सी. द्वारा स्कूल लेक्चरर के पद पर होने के कारण अपने मूल शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा इस शर्त के साथ आप वापिस लेकर गई थी कि आप स्वंय उक्त दस्तावेजात 6 सप्ताह तक वापिस जमा करवा देगी या अपनी मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र पेश कर देगी। सन्दर्भित पत्र को जारी किये हुये लगभग 3 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा प्राप्त किये गये मूल दस्तावेजात प्रेषित नहीं किये गये है, ना ही इस सम्बन्ध में आपका कोई प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः आप अपने शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र अथवा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति नहीं चाहने का प्रार्थना–पत्र, पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा आपकी नियुक्ति पर इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी और आपका आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को वापिस भिजवा दिया जावेगा।

-sd-
(अशोक कुमार शर्मा)
उप निदेशक अभियोजन
(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः–प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. नोडल अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय) राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक अभियोजन
(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर।

Desktop/sanjeev/ganaral letter